न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –52/2021
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021/71

अपीलान्टट्स **बनाम** **रेस्पोडेन्ट**

1. रामप्रताप
2. दुर्गाराम
3. देशराज
4. गजराज
5. रामनिवास पुत्रगण रामदेव जाखड जाति जाट निवासीगण रघुनाथपुरा तहसील परबतसर जिला नागौर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार परबतसर जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री डूँगरराम
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय **दिनांक** 04/10/2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार पीलवा द्वारा मुकदमा नम्बर 6/2021 सरकार बनाम रामप्रताप वगैराह अधीन धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.07.2021 को प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि मौजा रघुनाथपुरा के ख.नं. 936 व 937 अपीलांट के पैतृक खेत हैं जो ख.नं. 599 के चिपते हुए खसरान हैं तथा बाड़ी घाटी से रघुनाथपुरा जाने वाली गै.मु. सड़क के ख.नं. 599 व 542 पर सड़क निर्मित होकर आवागमन चालू है। अपीलांट ने उक्त सड़क भूमि के किसी भी भू भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। वन विभाग द्वारा वर्ष 1996–97 में वारट रोड़ के तहत भू व जल संरक्षक कार्य करवाये गये थे जिसमें कार्यालय क्षेत्रिय वन अधिकारी परबतसर ने नायब तहसीलदार पीलवा को दिनांक क्रमांक 604/08.09.2008 को लेटर जारी किया था जिसमें यह तथ्य दर्ज है कि रघुनाथपुरा से बाड़ी घाटी जाने वाली सड़क के पश्चिम दिशा में रास्ता ख.नं. 321 के पश्चिम में सड़क बाउण्ड्री छोड़कर पहाड़ों की लाईन से जो नाला आता है उसे रोकने हेतु विभाग द्वारा लम्बी मिट्टी की बाड़ बनाकर निर्माण कार्य किया गया था जो आज दिन मौके पर मौजूद है। जिसके पश्चिम दिशा में लगता ख.नं. 383 रामदेव पुत्र पुसाराम जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा का खेत आया हुआ है। गत ख.नं. 321 के हाल ख.नं. 599 बने हैं जिस पर सड़क निर्मित हो चुकी है तथा रामदेव के खातेदारी के खेत गत ख.नं. 383 के हाल ख.नं. 936 व 937 बने हैं तथा अपीलांट के पिता श्री रामदेव का अब देहान्त हो चुका है। अपीलांटस् उनके पुत्रगण हैं। जिससे स्पष्ट है कि सरकारी ख.नं. 599 पर अपीलांट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है तथा ख.नं. 542 गै.मु. निर्मित सड़क के पूर्व की तरफ है जिससे भी स्पष्ट है कि निर्मित सड़क के उपर से जाकर अतिक्रमण किया हो मानने लायक ही तथ्य नहीं रहता है सिर्फ पटवारी हल्का के नाप चौप के अभाव में आईडिया लगाकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पर जैर अपील कार्यवाही होकर निर्णय किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

निर्णय व डिकी जैर अपील विरूद्ध कानूनी हालात मामला व विधि से बाधित होकर विधिविरूद्ध होने से सरसरी तौर पर ही निरस्त लायक है। मौजा रघुनाथपुरा के ख.नं. 599 रकबा 0.69 हैक्टर, ख.नं. 542 रकबा 0.19 हैक्टर है जिसमें से अर्थात् दोनों में से 0.60 हैक्टर भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:39:45 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

अपीलांट को अतिकमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने में अदालत मातहत ने गलती की हैं अदालत मातहत के समक्ष ख.नं. 599 रकबा 0.69 हैक्टर और ख.नं. 542 रकबा 0.19 हैक्टर में से अर्थात् दोनों खसरा नम्बरान जिन पर सड़क निर्मित हो चुकी है में से कितने – कितने रकबा पर अतिक्रमण किया गया है नहीं बताया गया है। जिससे स्वतः ही स्पष्ट है कि बिना नापचौप किये आईडिया लगाकर रिपोर्ट की गई है जो पटवारी हल्का ने पूर्व अदावती व अपीलांट के खिलाफ पार्टी के लोगों के सिखाने से अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट पेश की है जिसको मौके पर नाप करने के लिए अपीलांट देसराज ने जरिये अधिवक्ता आवेदन किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई विचार न कर आवेदन पर कोई आदेश नहीं दिया है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई मानने योग्य साक्ष्य नहीं थी जिसके आधार पर अपीलान्टस् को वादग्रस्त ख.नं. पर कब्जा माना जावे। वन विभाग के सरकारी लेटर से यह साबित है कि सड़क भूमि ख.नं. 599 में सड़क बाउण्ड्री व अपीलांट के खातेदारी के खेत के बीच वन विभाग द्वारा पाल बनाई व खाई खोदी गई जो आज दिन मौके पर मौजूद है जो तथ्य वन विभाग के लोक दस्तावेज से साबित है कि अपीलांट ने कोई कब्जा नहीं किया है। रेकर्ड पर उपलब्ध सामग्री व तथ्यों पर अधिनस्थ न्यायालय ने विचार करके उनका सही मूल्यांकन नहीं किया तथा जैर अपील निर्णय खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त लायक है।

अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर बेदखली व जुर्माना व निलामी का निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने जोईंट नोटिस दिया जाकर प्रत्येक अपीलांट पर तामिल नहीं करवाई व प्रत्येक अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि का रकबा किस प्रकार से अतिक्रमण किया गया है नहीं बताया गया है। जिससे अपीलांट अपने कथन न्यायालय के समक्ष रखने से भी वंचित रहे हैं तथा नाहक मुकदमे में घसीटना पड़ रहा है अपीलांट सभी अलग अलग परिवारों में रहते हैं तथा सभी के परिवार अलग–अलग हैं ओर अलग अलग जगहों पर बसते हैं अपीलान्टस् का सम्मिलित परिवार नहीं है। अपीलांट रामनिवास व देसराज के अलावा अपीलांट को कार्यवाही हाजा का कोई नोटिस नहीं दिया गया है तथा अपीलांट अजमेर में रहकर मजदूरी करते हैं।

अधिनस्थ न्यायालय ने मौके पर उपलब्ध सामग्री को राजकीय कब्जे में लिया जाकर निलाम कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये हैं जो कानूनी तौर पर गलत आदेश दिया गया है। चूंकि धारा 91 आर.एल.आर एक्ट के प्रकरण में अतिक्रमण किये गये हिस्से को हटाने का अवसर दिया जाता है मगर उस पर की सामग्री को निलाम कर रकम वसूली करने का आदेश कतई नहीं दिया जा सकता। अपीलान्टस् को पूर्व में सामग्री को हटाने का आदेश नहीं दिया गया न ही ऐसी कोई सामग्री जब्त ही की गई है ऐसी सूरत में निलामी का आदेश नहीं दिया जा सकता, का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट अपीलान्टस् की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा के मुकदमा नम्बर 6/2021 दिनांक 29.06.2021 को निरस्त करने तथा अन्य दादरसी जो भी लाभार्थ अपीलान्टस् हो वह भी प्रदान करने एवं खर्चा अपील अपीलान्टस् को रेस्पोडेंट से दिलाये जाने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि प्रकरण में अपीलान्टस् द्वारा ग्राम रूघनाथपुरा के खसरा नम्बर 599, 542 की भूमि में से 0.60 हैक्टयर किस्म गै.मु. सड़क की भूमि में तारबन्दी कर अतिकमण किया जाना पूर्णतया साबित है। वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस एवं प्रमाणित तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर अप[illegible] इसलिए निर्णय जैर अपील विधि अनुसार सही होने का कथन करते हुऐ अपील अपी[illegible] करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर [illegible] की अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी पीह व भू–अभि[illegible] नायब तहसीलदार पीलवा के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 15[illegible] द्वारा ग्राम रूघनाथपुरा के खसरा नम्बर 599, 542 की भूमि में से 0.60 हैक्टयर किस्म गै.मु. सड़क की भूमि में तारबन्दी कर अतिक्रमण किया जाना स्पष्ट है। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब पेश करने हेतु अवसर चाहा जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जबाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:39:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

परन्तु तत्पश्चात अपीलान्ट्स ने जरिये अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर वादग्रस्त खसरा नम्बर 599 व खसरा नम्बर 542 का पुनः नापचौक अपीलान्ट्स की उपस्थित में करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो उचित नहीं है। क्योंकि यदि अपीलान्ट्स को पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार का सन्देह अथवा अविश्वास था तो समुचित कारण अंकित करते हुए अपीलान्ट को प्रथम बार जब वह न्यायालय में उपस्थित हुए तब ही उक्त संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिए था, जो ततसमय प्रस्तुत नहीं किया, जो उचित नहीं है। इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया जो उचित है।

वकील अपीलान्ट का कथन कि वन विभाग के सरकारी लेटर से यह साबित है कि सड़क भूमि ख.नं. 599 में सड़क बाउण्ड्री व अपीलांट के खातेदारी के खेत के बीच वन विभाग द्वारा पाल बनाई व खाई खोदी गई जो आज दिन मौके पर मौजूद है जो तथ्य वन विभाग के लोक दस्तावेज से साबित है कि अपीलांट ने कोई कब्जा नहीं किया है। उक्त संबंध में क्षैत्रीय वन अधिकारी परबतसर का उक्त पत्र दिनांक 08.09.08 का है, जिसमें सड़क बाउन्ड्री छोड़कर पहाड़ो को लाईन से जो नाला आ रहा है, उसे रोकने हेतु विभाग द्वारा लम्बी कच्ची मिट्टी को पाल बनाकर निर्माण कार्य किया हुआ होना बताया है। उक्त पत्र वर्ष 2008 में लिखा हुआ है, जिसे करीब 13 वर्ष व्यतीत हो चुके है और कच्ची मिट्टी का पाल बनाई हुई होना बताया है, परन्तु 13 वर्ष पश्चात भी वह मिट्टी की पाल बनी हुई रहना सन्देहास्पद है। इसके अतिरिक्त वकील अपीलान्ट के कथनानुसार एक बार यह मान भी लिया जावे कि मिट्टी की पाल बनी हुई है, तो भी इससे यह साबित नहीं है कि अपीलान्ट का वादग्रस्त गैर मुमकिन सड़क पर अनाधिकृत कब्जा नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
कलक्टर, नागौर
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:39:45 IST
Reason: SelfAttested